

मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक /03/2018

क्रमांक एफ 20-1/2018/17/मेडि-1: मंत्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 09 जनवरी 2018 के परिपालन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत 913 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं 513 महिला स्वास्थ्य पर्यपेक्षक (एल.एच. व्ही.) जो कि दिनांक 31.08.2016 को 60 वर्ष से अधिक आयु की होकर इस दिनांक तक शासकीय सेवा में रही हैं, उनकी वास्तविक अर्हकारी सेवा के आधार पर तथा अन्तिम वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारण की कार्यवाही की जावे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 07/03/2018

पृ. क्रमांक एफ 20-1/2018/17/मेडि-1

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मुख्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, लो.स्वा.एवं. परि. क. विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
5. आयुक्त, जन संपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
10. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
12. समस्त सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
13. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
14. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।  
स्टॉक फाईल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग